

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
मुख्य अभियंता कार्यालय
कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन

कमरा सं.204, के.जी. भवन,
11-4-648, ए.सी. गार्ड्स,
हैदराबाद - 500 004.

सं. ई-11017/1/2010-प्रशा/ 767-94

दिनांक: 23 FEB 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28 वीं बैठक का आयोजन - सूचना संबंधित।

Subject: Holding of the 28th meeting of the Official Language Implementation Committee of Krishna & Godavari Basin Organisation, CWC, Hyderabad – information regarding.

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सम्मेलन कक्ष (Conference Hall), कृष्णा गोदावरी भवन, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद में, दिनांक **12.03.2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे** को, कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28 वीं बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें **उप-मंडल स्तर** तक के प्रत्येक **कार्यालय प्रमुख** को भाग लेने का निर्देश दिए गए हैं।

The undersigned is directed to say that it has been decided to conduct the 28th meeting of the Official Language Implementation Committee of Krishna & Godavari Basin Organisation, Central Water Commission, Hyderabad on **12th March 2018 at 11.00 a.m.** in the Conference Hall, Krishna Godavari Bhavan, A.C. Guards, Hyderabad in which every **H.O.O.** upto **Sub-Division level** are directed to participate.

अनुलग्नक: बैठक की कार्यसूची / Agenda for meeting

प्रति. गंगा भवानी
(एम. गंगा भवानी)

उप निदेशक एवं सदस्य सचिव (रा.भा.का.स.)

सेवा में

1. **अधीक्षक अभियंता**, कृष्णा एवं समन्वय परिमंडल / गोदावरी परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, हैदराबाद।
2. **निदेशक**, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, हैदराबाद।
3. **अधिसासी अभियंता**, निचली कृष्णा मंडल / निचली गोदावरी मंडल / ऊपरी गोदावरी मंडल / ऊपरी कृष्णा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, हैदराबाद / पुणे।
4. **उप-मंडलीय अभियंता**, निचली कृष्णा उपमंडल-I / निचली कृष्णा उपमंडल-II / निचली तुंगभद्रा उपमंडल / मध्य कृष्णा उपमंडल-II / निचली गोदावरी उपमंडल-I / निचली गोदावरी उपमंडल-II / इंद्रावती उपमंडल / ऊपरी गोदावरी उपमंडल / पूर्णा उपमंडल / मंजीरा उपमंडल / ऊपरी कृष्णा उपमंडल-I / ऊपरी कृष्णा उपमंडल-II / ऊपरी कृष्णा उपमंडल-III / मध्य कृष्णा उपमंडल / बीमा उपमंडल / दक्षिण-पश्चिम सरिता उपमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, एन.एस. डैम / विजयवाड़ा / कर्णूल / भद्राचलम / राजमंड्री / जगदलपुर / औरंगाबाद / नांदेड / निज़ामाबाद / कोल्हापुर / मीरज / मानगांव / बागलकोट / सोलापुर / गोआ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, (ध्यानार्थ - उप निदेशक, राजभाषा), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. निदेशक, स्थापना एवं राजभाषा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. सहायक निदेशक (राजभाषा) & सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030.
4. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), केन्द्रीय सदन, 5 वां तल, डी-विंग, कोरमंगला, बंगलूरु - 560034.
5. सहायक निदेशक, मु.अ.का., के.जी.बी.ओ., के.ज.आ., हैदराबाद। (www.kgbo-cwc.ap.nic पर अपलोड करने के लिए)

जल बचाएं – SAVE WATER

1. तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा / Review of Quarterly Progress Reports :-

दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हुई तिमाही में कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट की निम्नलिखित विषयों पर तुलनात्मक समीक्षा की जाएगी:-

The comparative review of progress reports, for the Quarter ending 31.12.2018, on the progressive use of Official Language in all regional offices under K&GBO, CWC, Hyderabad, shall be taken up in the meeting:-

- क) राजभाषा की धारा 3(3) का अनुपालन
Compliance of Section 3(3) of Official Language Act
- ख) हिन्दी में प्राप्त पत्रों का प्रत्युत्तर हिन्दी में ही देना
Reply to Hindi letters to be made only in Hindi
- ग) हिन्दी में पत्राचार की स्थिति
Status of correspondence in Hindi

2. अनिवार्य रखरखाव / Mandatory maintenance :-

केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, साईट स्तर के कार्यालय सहित, में सभी नाम-बोर्ड/पट्ट, रबड़ मोहर, रजिस्टर एवं अन्य फॉर्म, द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी भाषा) प्रारूप में अथवा कार्यालय नाम के प्रदर्शन-बोर्ड एवं प्रदर्शन-बैनर त्रिभाषी (हिंदी-अंग्रेजी-स्थानीय भाषा) प्रारूप में, अनिवार्य रूप से, बनाए रखना चाहिए। बैठक में, तत्संबंधित, एक रिपोर्ट की उम्मीद की जाएगी।

All Central Government offices, including Site level offices, should inevitably maintain the Name-Boards/Plates, Rubber Stamps, Registers and other Forms in BILINGUAL (HINDI-ENGLISH) format and the Office Name Display-Boards and other Display-Banners in TRILINGUAL (HINDI-ENGLISH-LOCAL LANGUAGE) format. A report, in this regard, is expected in the meeting.

3. अध्यक्ष के अनुमति से अन्य कोई अंश / Any other item with the permission of the Chair.

* * * * *